रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 1, 2017/अग्रहायण 10, 1939
No. 22] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 1, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 31(अ).—छावनी संपत्ति संबंधी कतिपय नियमों का प्रारूप, जिन्हें केंद्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-4 में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का.नि.आ. 5(अ), तारीख 22 मार्च, 2017 द्वारा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 125 के अधीन यथाअपेक्षित प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 125 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और छावनी संपत्ति नियम, 1925 को अधिक्रान्त करते हुए, उन बातों के सिवाय, जिन्हें इस अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, छावनी संपत्ति संबंधी निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी संपत्ति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम भारत की सभी छावनियों को विस्तारित होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि कोई बात संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों;

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) अभिप्रेत है;

(ख) "स्थावर संपत्ति" में भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे और भूबद्ध वस्तुएँ, जो स्थायी रूप से भूमि से जुड़ी चीजें हैं, सम्मिलित हैं किन्तु इसमें खड़ा काष्ठ, उगती फसल, या घास सम्मिलित नहीं हैं;

(ग) "जंगम संपत्ति" में भूमि पर खड़ा काष्ठ, उगती फसल व घास, पेड़-पौधों पर लगे फल तथा उनका रस, छाल, लाख और स्थावर संपत्ति के सिवाए अन्य विवरण वाली सभी जंगम संपत्ति सम्मिलित हैं।

3. **छावनी संपत्ति का रजिस्टर-** स्थावर सम्पत्ति, जो छावनी बोर्ड में निहित है या उसकी है, के रजिस्टर छावनी लेखा कोड, 1924 के विनिर्दिष्ट प्ररूप में छावनी बोर्ड द्वारा बनाए रखा जाएगा और छावनी बोर्ड की सभी धृतियों में परिवर्धन या परिवर्तन को उसमें अभिलिखित किया जाएगा।

4. **केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि से भिन्न भूमि का क्रय या पट्टा** – अधिनियम की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार में निहित संपत्ति से भिन्न किसी ऐसी स्थावर संपत्ति का क्रय कर सकेगा या पट्टे पर ले सकेगा जो छावनी के प्रशासन से संबन्धित तात्कालिक और निश्चित प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो :

परंतु छावनी बोर्ड, कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की मंजूरी, जोकि ऐसी मंजूरी को स्वीकृत या अस्वीकृत करने से पहले प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा की टिप्पणी अभिप्राप्त करेगा, के सिवाय, छावनी की सीमाओं के भीतर किसी ऐसी संपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा।

5. **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अधीन भूमि अर्जन का आवेदन -** छावनी बोर्ड, अधिनियम की धारा 124 के अधीन भूमि के अर्जन के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करते समय अर्जन किए जाने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से बताएगा तथा संदाय किए जाने वाले और प्रेषित किए जाने वाले प्रतिकर का प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा तथा छावनी बोर्ड यह भी प्रमाणित करेगा कि प्राइवेट संविदा द्वारा अर्जन असाध्य या विशेष कारणों से अवांछनीय पाया गया है।

6. **केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण—**जब छावनी में किसी ऐसी भूमि की, जो केन्द्रीय सरकार में निहित है, छावनी प्रशासन से संबंधित प्रयोजन के लिए छावनी बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तब छावनी बोर्ड, उन कारणों को बताते हुए कि वह क्यों अपेक्षित है और वह प्रयोजन दर्शाते हुए जिसके लिए वह अपेक्षित है, भूमि की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा और यदि केंद्रीय सरकार विचार करती है कि आवेदन मंजूर किया जाना चाहिए तब ऐसी शर्तों के अधीन जो वह ठीक समझे, भूमि को छावनी बोर्ड को अंतरित कर सकेगी:

परंतु—

(क) यदि ऐसी भूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए पहले से ही अधिभोग में है, तब ऐसी भूमि का छावनी बोर्ड को अंतरण, छावनी भूमि प्रशासन नियम, 1937 के नियम 7 या प्रवृत्त छावनी भूमि प्रशासन नियमों के सुसंगत नियमों के उपबंधों के द्वारा शासित होगा; या

(ख) यदि भूमि ऐसे उद्देश्य के लिए अपेक्षित है, जिससे छावनी बोर्ड को किसी प्रकार की आय व्युत्पन्न होगी, तब ऐसी भूमि ऐसी रीति में की गई अदायगी पर जो केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक मामले में समुचित समझे, अंतरित की जा सकेगी;

(ग) यदि किसी भी समय भूमि का उपयोग ऐसे उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए वह छावनी बोर्ड को मंजूर की गई है, या केन्द्रीय सरकार की राय में किन्हीं अन्य शर्तों के भंग होने पर, जिन पर भूमि छावनी बोर्ड को अंतरित की गई थी, या ऐसी भूमि साधारण लोकहित में अपेक्षित है, तो केंद्रीय सरकार ऐसी भूमि पर फिर कब्जा कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार से कब्जा की गई किसी भूमि के संबंध में छावनी बोर्ड को संदेय प्रतिकर की रकम का विनिश्चय प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा और ऐसी रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में उस भूमि के अंतरण के लिए छावनी बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार को संदत्त, रकम, यदि कोई हो, के साथ उस पर निर्मित भवन, यदि कोई हो, की प्रारम्भिक लागत या वर्तमान मूल्य से, इनमें से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी।

7. **छावनी बोर्ड द्वारा स्थावर संपत्ति का अंतरण—**ऐसी स्थावर संपत्ति को, जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड, किसी व्यक्ति को बिना प्रीमियम के पट्टे से भिन्न विक्रय, बंधक या विनिमय द्वारा या अन्यथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे, अंतरित नहीं करेगा:

परंतु यदि स्थावर संपत्ति छावनी की सीमाओं से बाहर अवस्थित है, तो छावनी बोर्ड द्वारा राज्य सरकार और रक्षा सेवाओं के विचार अभिनिश्चित किए जाएंगे और संबन्धित कमान के प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा के माध्यम से केंद्रीय सरकार को सूचित किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा इन पर विचार किया जाएगा।

8. **छावनी बोर्ड द्वारा पट्टा**—अधिनियम की धारा 267 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वह स्थावर संपत्ति जो छावनी बोर्ड में निहित है और उसकी है, छावनी बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रीमियम के बिना पट्टे पर दी जा सकेगी अर्थात :—

(i) पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के दौरान एक युक्ति-युक्त भाटक आरक्षित हो और संदेय हो या विकल्प के रूप में प्रधान निदेशक द्वारा सम्यक अनुमोदित उपयुक्त राजस्व उत्पादन आदर्श प्रकल्पित हो;

(ii) पट्टा या पट्टे के लिए किया गया करार, छावनी बोर्ड के साधारण अधिवेशन में किए गए संकल्प द्वारा उसकी पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अवधि के लिए या कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो बीस वर्ष से अधिक है और तीस वर्ष से अधिक नहीं है या केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसी अवधि के लिए जो तीस वर्ष से अधिक है, नहीं किया जा सकता;

(iii) ऐसे प्रयोजन के लिए पट्टा जिसके लिए, छावनी बोर्ड अधिनियम की धारा 123 के अधीन स्वयं उपयोजन नहीं कर सकता था, संपत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी;

(iv) प्रत्येक पट्टे पर, वे शर्तें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएंगी, जिस प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई संपत्ति का पट्टेदार द्वारा उपयोग किया जा सकेगा और उसमें छावनी बोर्ड को इस बात के लिए शक्ति प्रदान करने वाला खंड होगा कि छावनी बोर्ड की सम्मति के बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए संपत्ति का उपयोग किए जाने की दशा में वह पट्टे को निराकृत कर दे;

(v) छावनी बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, खंड (iv) के अनुसरण में इसकी सम्मति नहीं देगी यदि ऐसी सम्मति, पट्टे पर दी गई संपत्ति के ऐसे प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए चाही गई है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी इस अधिनियम की धारा 123 के अधीन संपत्ति का उपयोजन नहीं करता;

(vi) जहां पट्टेदार, पट्टे की निबंधन के उल्लंघन में और छावनी बोर्ड की सम्मति के बिना पट्टे पर दी गई संपत्ति का किसी प्रयोजन के लिए ऐसा उपयोग करता है जिसके लिए स्वयं छावनी बोर्ड भी अधिनियम की धारा 123 के अधीन उस संपत्ति का उपयोजन नहीं कर सकता तो छावनी बोर्ड ऐसे पट्टे को तुरंत निराकृत कर देगा, ऐसी संपत्ति का नया पट्टा केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशित ऐसी शर्तों पर प्रदान किया जाएगा:

परन्तु अधिनियम की धारा 257 के उपबंधों के अधीन, ऐसी स्थावर संपत्ति जो पथ है या जिसमें किसी पथ का भाग सम्मिलित है, पट्टे पर नहीं दी जाएगी।

9. केन्द्रीय सरकार को स्थावर संपत्ति अंतरण करने की शक्ति - इन नियमों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, छावनी बोर्ड किसी स्थावर संपत्ति को जो इस अधिनियम की धारा 122 के अधीन उसमें निहित है और उसकी है, केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर सकेगा किन्तु इस प्रकार नहीं कि किसी न्यास या लोक अधिकारों पर प्रभाव पड़े जिसके अधीन वह संपत्ति धारित है।

10. स्थावर संपत्ति अर्जित व अंतरित करने की शक्ति - इस अधिनियम की धारा 123 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, छावनी बोर्ड, किसी ऐसी जंगम संपत्ति को अर्जित कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो और किसी ऐसी जंगम संपत्ति को जो छावनी बोर्ड में निहित है या उसकी है, किसी रीति में या किन्ही ऐसे निबंधनों पर अंतरित कर सकेगा जो साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा समीचीन और युक्तिसंगत अवधारित करें।

11. रक्षा सम्पदा अधिकारी द्वारा प्रवेश, निरीक्षण-

(1) रक्षा सम्पदा अधिकारी या साधारण या विशेष आदेश द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, सहायकों या कर्मकारों के साथ या उनके बिना, अधिनियम की धारा 122 के अधीन छावनी बोर्ड में निहित किसी भवन में या भूमि पर कोई ऐसी जांच, निरीक्षण, माप, मूल्यांकन या सर्वेक्षण करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा, जो ऐसे अधिकारी या व्यक्ति आवश्यक समझे या किसी ऐसे संकर्म के परीक्षण या निरीक्षण के लिए आवश्यक समझे जो ऐसे भवन या भूमि पर निष्पादित हुआ है या होता रहा है या जिसे निष्पादित किया जाना है।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट कर्तव्यों के पालन में, ऐसा अधिकारी या व्यक्ति उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो अधिनियम के अध्याय XV में प्रवेश और निरीक्षण प्रयोजनों के लिए अभिकथित हैं।

[फा. सं. 14(4)/2009-डी (क्यू एवं सी)]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

S.R.O. 31(E).—Whereas a draft of certain rules relating to the Cantonment property which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 125 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), was published as required under section 125 of the Cantonments Act, 2006 in notification of the Government of India in the Ministry of Defence vide S.R.O. 5(E), dated the 22nd March, 2017 in Gazette on India, Part – II, Section 4, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty day from the date of publication of the said notification.

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 125 of the Cantonment Act, 2006 and in supersession of the Cantonment Property Rules, 1925 except as regard things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules relating to the Cantonment property, namely:—

1. **Short title extend and commencement.—**(1) These rules may be called the Cantonment Property Rules, 2017.

(2) These rules shall extend to all cantonments in India.

(3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise require,

(a) "Act" means the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006);

(b) "immovable property" includes land, benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to things attached to the earth but does not include standing timber, growing crops or grass;

(c) “movable property” includes standing timber, growing cops and grass, fruit upon and juices in trees, bark, lac and property of every other description except immovable property.

3. **Register of cantonment property.—**Registers of immovable property, which vest in and belong to the Cantonment Board, shall be maintained by the Cantonment Board in the forms specified in the Cantonment Account Code, 1924 and all additions to or alterations in the holdings of the Cantonment Board shall be recorded therein.

4. **Purchase or lease of land other than land vested in the Central Government.—**Subject to the provisions of section 123 and section 124 of the Act, the Cantonment Board may purchase or take on lease any immovable property, other than property which is vested in the Central Government that may be required for immediate and definite purpose connected with the administration of the cantonment:

Provided that the Cantonment Board shall not acquire any interest in any such property within the limits of the cantonment except with the sanction of the General Officer Commanding-in-Chief, the Command, who shall obtain comments of the Principal Director, Defence Estates before according or refusing sanction.

5. **Application for acquisition of land under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.—**In making an application to the Central Government under section 124 of the Act for the acquisition of land, the Cantonment Board shall state clearly the necessity for the acquisition and shall submit an estimate of the compensation to be paid and any revenue to be remitted and the Cantonment Board shall also certify that acquisition by private contract has been found impracticable or is, for special reasons, undesirable.

6. **Transfer of land vested in the Central Government to Cantonment Board.—**When any land in the cantonment, which is vested in the Central Government, is required by the Cantonment Board for a purpose connected with the administration of the cantonment, the Cantonment Board may

IndiaCode

apply to the Central Government for the grant of the land stating the reasons and purpose for which it shall be utilised and if the Central Government considers that the application shall be accepted, they may transfer the land to the Cantonment Board on such conditions, if any, as they may think fit:

Provided that –

(a) if the land applied for is already occupied for any other purpose, its transfer to the Cantonment Board shall be governed by the provisions of rule 7 of the Cantonment Land Administration Rules, 1937 or by the relevant rule of the Cantonment Land Administration Rules in force; or

(b) if the land is required for an object from which the Cantonment Board will derive income of any description, it may be transferred to the Cantonment Board only on such payment made in such manner as the Central Government may consider equitable in each case;

(c) if at any time the land is not used for the object for which it was granted to the Cantonment Board, or if there has been, in the opinion of the Central Government, any other breach of the conditions on which it was transferred to the Cantonment Board, or if the land is required for a general public purpose, the Central Government may, after giving opportunity to the Cantonment Board to show cause and considering the cause shown, resume possession of the land and for any land so resumed by the Central Government the amount of compensation payable to the Cantonment Board shall be decided by the Central Government in each case and shall in no circumstances exceed the amount, if any, paid to the Central Government by the Cantonment Board for the transfer of the land together with the initial cost or the present value, whichever is less, of buildings, if any, erected thereupon.

7. Transfer by Cantonment Board of Immovable Property.—Immovable property which vests in and belongs to the Cantonment Board shall not be transferred to any person by the Cantonment Board by way of sale, mortgage or exchange, or otherwise than by lease without a premium, except with the previous sanction of the Central Government and in such manner and on such terms and conditions as the Central Government may, approve such sanction:

Provided that if the immovable property is situated beyond the limits of the Cantonment, the views of the State Government and the services shall be ascertained by the Cantonment Board and communicated to the Central Government through the Principal Director, Defence Estates, the Command, shall be taken into consideration by the Central Government.

8. Lease by Cantonment Board.—Subject to the provisions of section 267 of the Act, immovable property which vests in and belongs to the Cantonment Board may be leased by the Cantonment Board without a premium on the following conditions, namely:-

(i) that a reasonable rent is reserved and made payable during the whole term of the lease or, in the alternative, a suitable revenue generating model duly approved by the Principal Director is devised;

(ii) that the lease, or the agreement for the lease, is not made for any term without the previous sanction of the Cantonment Board by resolution at a general meeting; or for any term exceeding five and not exceeding twenty years without the sanction of the Principal Director; or for any term exceeding twenty and not exceeding thirty years without the sanction of the General Officer Command-in-Chief, the Command; or for any term exceeding thirty years without the sanction of the Central Government.

(iii) that a lease for any purpose for which the Cantonment Board itself could not, utilize the property, under section 123 of the Act, shall require the previous sanction of the Central Government;

(iv) that every lease shall specify in clear terms the purpose or purposes to which leased property may be put by the lessee, and shall contain a clause empowering the Cantonment Board to abrogate the lease in the event of the property being used for any other purpose without the consent of the Cantonment Board;

(v) that the Cantonment Board shall not give its consent in pursuance of clause (iv) without the previous sanction of the Central Government if such consent is sought for use of the leased

property for a purpose for which the Cantonment Board could not itself apply the property under section 123 of the Act;

(vi) that where the lessee, in contravention of the terms of the lease and without the consent of the Cantonment Board, uses the leased property for any purpose to which the Cantonment Board could not itself utilize the property under section 123 of the Act, the Cantonment Board shall forthwith abrogate the lease, and any fresh lease of the same property to the lessee shall be granted only with the previous sanction of the Central Government and on such terms as the Central Government may direct:

Provided that subject to the provisions of section 257 of the Act, any immovable property which is, or includes a part of a street shall not be given on lease.

9. Power to transfer immovable property to the Central Government.-Notwithstanding anything contained in these rules, the Cantonment Board may transfer to the Central Government any immovable property which vests in and belongs to it under section 122 of the Act, but not so as to affect any trusts or public rights subject to which the property is held.

10. Power to acquire and transfer movable property.-Subject to the provisions of section 123 of the Act, the Cantonment Board may acquire any movable property that may be required for the purposes of the Act, and may transfer any movable property which vests in and belongs to the Cantonment Board in any way and on any terms that it may, by resolution at a general meeting, determine to be expedient and reasonable.

11. Entry, inspection by Defense Estates Officer.-

(1) The Defence Estates Officer, or any person authorised by him by general or special order may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any building or land vesting in Cantonment Board under section 122 of the Act, for the purpose of making any enquiry, inspection, measurement, valuation or survey, which such officer or person may consider necessary, or of examining or inspecting any works which have been, are being, or are to be executed in or on such building or land.

(2) In the performance of the duties specified in sub-section (1), such officer or person shall observe the same procedure for the purposes of entry and inspection as is laid down in Chapter XV of the Act.

[F. No. 14(4)/2009-D(Q&C)]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 32(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 12 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट छावनी बोर्डों की निर्वाचित सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित रिक्तियां हुई हैं अर्थात :—

सारणी

क्रम सं.	**छावनी बोर्ड का नाम**	**वार्ड सं. जिसमें रिक्ति हुई है।**	**रिक्ति होने का कारण**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंबाला	VII	श्री गरीब दास, निर्वाचित सदस्य की 22.02.2017 को मृत्यु।
2.	फतेहगढ़	II	श्री शशि मोहन, निर्वाचित सदस्य का छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 34 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के आदेश सं. 256/एफ़/2016-डी(क्यू एवं सी) तारीख 31.10.2016 द्वारा हटाया जाना।
3.	फतेहगढ़	III	श्री रतन कुमार, निर्वाचित सदस्य का छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 34 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 34 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन भारत

			सरकार, रक्षा मंत्रालय के आदेश सं. 76/ 38 /निर्वाचित सदस्य/हटाना/21/2/सी / र सं. /15/281/एफ/16-डी(क्यू एवं सी) तारीख 28.12.2016 द्वारा हटाया जाना।
4.	जम्मू	VI	श्री हरमोहिंदर सिंह, निर्वाचित सदस्य की 16.09.2016 को मृत्यु ।

[फा. सं. 14(2)/2012-डी(क्यू एंड सी)/वॉल-II]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

S.R.O. 32(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (8) of section 12 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby notifies that the following vacancies have occurred in the elected membership in respect of the Cantonment Boards specified in the table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of Cantonment Boards	Ward No. in which vacancy has occurred	Reason for occurrence of vacancy
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ambala	VII	Death of Late Shri Garib Dass, Elected Member on 22.02.2017.
1.	Fatehgarh	II	Removal of Shri Shashi Mohan, Elected Member under sub-section (2) of Section 34 read with sub-section (4) of section 34 of the Cantonments Act, 2006, vide Government of India, Ministry of Defence order No. 256/F/2016-D(Q&C), dated 31.10.2016.
2.	Fatehgarh	III	Removal of Shri Ratan Kumar, Elected Member under clause (b) of sub-section (1) of Section 34 read with sub-section (4) of section 34 of the Cantonments Act, 2006, vide Government of India, Ministry of Defence order No. 76/38/Elected Member/Removal/21/2/C/DE/ 15/281/F/16/D(Q&C), dated 28.12.2016.
3.	Jammu	VI	Death of Late Shri Harmohinder Singh, Elected Member on 16.09.2016.

[F. No. 14(2)/2012-D(Q&C)/Vol-II]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

का.नि.आ. 33(अ).—छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट छावनी बोर्डों के संबंध में आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए कराए जाने वाले आकस्मिक निर्वाचन के लिए 22 जनवरी, 2018 को निर्वाचन की तारीख के रूप में निर्दिष्ट करती है अर्थात :—

सारणी

क्रम सं.	छावनी बोर्ड का नाम	वार्ड सं.
(1)	(2)	(3)
1.	अंबाला	VII
2.	फतेहगढ़	II एवं III
3.	जम्मू	VI

[फा. सं. 14(2)/2012-डी(क्यू एंड सी)/वॉल-II]

मनीष ठाकुर, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2017

S.R.O. 33(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby directs the 22nd January, 2018 as the date on which casual elections to fill the casual vacancies in respect of the Cantonment Boards specified in the table below shall be held, namely:—

TABLE

Sl. No.	Name of Cantonment Boards	Ward No.
(1)	(2)	(3)
1.	Ambala	VII
2.	Fatehgarh	II and III
3.	Jammu	VI

[F. No. 14(2)/2012-D(Q&C)/Vol-II]

MANISH THAKUR, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.12.01 21:16:04 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.